Title : Combined discussion on motion for revocation of President's Rule in Jharkhand; statutory resolution for extension of President's Rule in Jharkhand; discussion on the Budget for the State of Jharkhand for 2009-2010 and demands for grants in respect of Budget (Jharkhand) for 2009-2010. (Motion negatived and Statutory Resolution adopted.).

MADAM SPEAKER: The House will now take up the combined discussion on the motion recommending to the President to revoke the President's rule in the State of Jharkhand, the Statutory Resolution seeking approval of President's rule in the State of Jharkhand for a further period of six months, the General Discussion on the Budget for the State of Jharkhand and the Discussion and voting on the Demands for Grants (Jharkhand) 2009-2010.

Only two Members, Sarvashri Babulal Marandi and Inder Singh Namdhari have tabled cut motions to the Demands for Grants (Jharkhand) 2009-2010. If the hon. Members want to move their cut motions, they may send slips at the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions will be treated as moved.

Shri Hukumdeo Narayan Yadav − Not present

Shri Devidhan Besra − Not present

Shri Arjun Munda

श्री अर्जुन मुण्डा (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि झारखंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 19 जनवरी, 2009 को उनके द्वारा जारी उद्घोषणा प्रतिसंहृत की जाए। "

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam Speaker, I beg to move the following Resolution:

> "That this House approves the continuance in force of the Proclamation, dated the 19th January, 2009 in respect of Jharkhand, issued under article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from 19th July, 2009"

Madam, as the House is aware, the President issued a Proclamation imposing President's Rule under article 356 of the Constitution in the State of Jharkhand on 19th January, 2009, keeping the Legislative Assembly under suspended animation. The Resolutions, seeking approval to the Proclamation were approved by the Lok Sabha and the Rajya Sabha on 19l February and 26th February, 2009 respectively.

As the hon. Members are aware, under clause (4) of article 356 of the Constitution, a Proclamation issued by the President and duly approved by the Parliament shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of a period of six months from the date of issue of the Proclamation unless a Resolution approving the continuance in force of such a Proclamation is passed by both the Houses, in which case, the Proclamation shall continue for a further period of six months. Accordingly, the Proclamation in relation to the State of Jharkhand will cease to operate on 18th July, 2009, unless this House decide to extend it for a further period of six months. We must, therefore, either have an elected Government in place by 18th July, 2009 or extend the duration of President's Rule. However, the Governor of Jharkhand has informed us that even after the lapse of five months since the imposition of President's Rule in the State, the political impasse continues and no political party or group has until now staked its claim to form the Government in Jharkhand.

Madam Speaker, I would like to clarify that in terms of the first proviso to clause (4) of article 356 of the Constitution, President's Rule in a State can be extended for a period of six months only.

However, the proclamation can be revoked at any time before the expiration of the six months period, if so required.

In view of the above, it is proposed that the President's Rule may continue for a further period of six months. However, I wish to clarify that should there be no indication or evidence that any group or any political party will stake claim to form a government, it is our intention to come before this House, report to this House and dissolve the Legislative Assembly of Jharkhand as early as possible so that elections can be held soon after the monsoon is over. But at present, since we cannot hold elections before 18th of July 2009, I request the House to extend the Proclamation and accept the assurance of the Government that it has no intention to keep the Legislative Assembly in suspended animation for a further full period of six months. We will come back to this House as early as possible, as soon as the Election Commission is able to make arrangements for holding the election. Obviously, elections cannot be held when the monsoon is on. It is not our intention to keep it alive for another six months. We will come back before this House provided no political party and no group is willing to stake its claim to form a government.

With that assurance, Madam, I request that the mover of the Motion disapproving the Proclamation may withdraw his Motion and the House may pass my Motion to extend the Proclamation for another period of six months.

MADAM SPEAKER: Motions moved:

"That this House recommends to the President that the proclamation issued by her on the 19th January, 2009, under Article 356 of the Constitution in relation to the State of Jharkhand, be revoked. "

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation, dated the 19th January, 2009 in respect of the State of Jharkhand, issued under Article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 19th July, 2009."

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of the payment during the year ending on the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 4, 6 to 12, 15 to 27, 29 to 33, 35 to 44 and 46 to 52."

श्री अर्जुन मुण्डा : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने यह प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत किया है और मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया है। मैं हमारे नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और अपने प्रदेश तथा क्षेत्र की जनता के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस सदन में आने का अवसर दिया है। मैं सबसे पहले तो माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों के प्रति अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि जिस निवेदन के साथ उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाए। गोआ के सन्दर्भ में भी यह सदन साक्षी है कि ऐसी ही बात कही गई थी और उसके बाद क्या परिणाम सामने आया, वह इस सदन और इस देश के सामने है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि 6 महीने की अवधि, 19 जनवरी को राज्यपाल शासन झारखंड प्रदेश में प्रारम्भ हुआ। मैं आपकी अनुमति से थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं। वर्ष 2005 को राज्य विधान सभा के चुनाव हुए और 2005 के आम चुनाव के बाद ही झारखंड में शासन नहीं, बल्कि झारखंड को एक प्रयोगशाला बनाने का प्रयत्न लगातार जारी रहा और इस देश के सामने झारखंड की और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो चित्रण हुआ, वह हम सबके सामने है। मैं आप सभी के सामने यह बताना चाहता हूं कि जब 2005 के आम चुनाव हुए, चुनाव के बाद राज्य की जनता ने सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुना। सबसे अधिक संख्या और यदि द्वितीय स्थान की गणना की जाए तो अधिकांश सीटों पर प्रतिपक्ष के रूप में द्वितीय स्थान के रूप में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में भी रही और अधिकतर स्थानों पर हम द्वितीय स्थान पर रहे। इस तरीके से यदि हम देखें तो जन भावना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी।

हमारा जो प्री-पोल एलाएंस था, उस एलाएंस के साथ और उसके साथ कुछ सहयोगी इंडिपेंडेंट के साथ हमने सूची महामहिम राज्यपाल को सौंपी और कहा कि लोकतांत्रित परम्परा, परिपाटी भी यही है कि सबसे बड़े दल को अवसर मिलना चाहिए लेकिन देश के सामने एक अजीबोगरीब स्थिति प्रस्तुत हुई, एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत हुआ जो मैं समझता हूं कि इंडियन डैमोक्रेसी में कभी भी ऐसा इसके पहले नहीं हुआ था।

हमने महामहिम राज्यपाल को सची सौंपी और उसके बाद किस ढंग से सत्ता का दरुपयोग और खेल जारी हुआ मैं इसे अपने शब्दों

में नहीं बता सकता। हमने सूची राज्यपाल महोदय को दी और राज्यपाल महोदय ने उसे नजरअंदाज करते हुए दूसरे पक्ष को बुलाया। हम यह बात लेकर महामहिम राष्ट्रपति तक गए और उसके बाद हम उच्चतम न्यायालय में गए। उच्चतम न्यायालय ने अपने शब्दों को निर्णय में अभिव्यक्त किया और मैं उसे इस सदन के सामने थोड़ा उद्धृत करना चाहता हूं। 9 मार्च, 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा -

> "Constitution of India − Articles 164(1), 163 and 333 − Exercise of power under Article 164(1) by Governor − Irregularities in − Appointment of leader of party/political alliance, not commanding support of majority of legislators, as Chief Minister by Governor (of Jharkhand) − Fraud on the Constitution − Governor summoned by President in this regard whereupon date of holding of vote of confidence preponed from 21.3.2005 to 15.3.2005 − Supreme Court on writ petition being filed by leader of party."

मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस गवर्नर के इस फैसले के बाद माननीय उच्चतम न्यायायल को अपने फैसले में ऐसी बात कहनी पड़ी थी और आज उसी गवर्नर के माध्यम से कहा गया कि वहां अतिरक्त छः महीने एक्सटेंशन की जाए। जब 2009 में लोकसभा के आम चुनाव हुए और उस राज्य की आम जनता ने 2000 के आम चुनाव में अपना मत दिया तब क्या उस समय राज्य विधान सभा का चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए था? क्या आपत्ति है? क्या उस समय राज्य के लोग विधान सभा के लिए मत नहीं दे सकते थे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो इन्टेंशन है, जो तरीके हैं, वे राज्य के हित में नहीं हैं। वहां की जनता के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वह राज्य के हित में नहीं है। मैं मानता हूं कि वहां ऐसी स्थिति बनी और राष्ट्रपति शासन लागू करना वाजिब था और केंद्र सरकार ने इसकी सहमति दी। लेकिन इसके आगे छः महीने एक्सेंट करने की क्या आवश्यकता है? क्या आपने उस राज्य की वास्तविकता को देखा है कि उस राज्य की वास्तविकता क्या है?

महोदया, मैं राज्य की विधि व्यवस्था के बारे में सबसे पहले बताता हूं। मैं झारखंड राज्य के बहुत ज्यादा शहरों की बात नहीं कहूंगा लेकिन जो प्रमुख शहर हैं, आपके सामने उनका थोड़ा सा चित्र रखना चाहता हूं। रांची राज्य की राजधानी है। बोकारो, सेल का स्टील प्लांट है। धनबाद कोयलांचल है, कोयले की खदान है, माइन्स एरिया है। जमशेदपुर, टाटा स्टील प्लांट है। इन चार शहरों की घटनाओं को एक नजर में देखा जा सकता है कि यहां किस तरह से एक पॉलिटिकल सैंटर के रूप में काम करके पूरी विधि व्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। मैं आपके सामने वे आंकड़ें प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनके माध्यम से सदन को इस बारे में जानकारी हो सके। मैं आपके सामने राष्ट्रपति शासन की अवधि में रांची जिले का आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस अवध में आज तक 2643 केस दर्ज हुए और हत्याएं, डकैती, लूट, आपराधिक घटनाएं घटी हैं। ये राज्य की राजधानी में हुई। राज्य की राजधानी में स्थिति यह है कि विभिन्न कारणों के माध्यम से 2643 घटनाएं घटीं।

अब मैं दूसरे शहर बोकारो के बारे में बताता हूं, जहां सेल का स्टील प्लान्ट हैं, इंडस्ट्रियल हब है। आज हम आर्थिक स्थिति की चाहे जितनी चर्चा करें, लेकिन यदि हमारा औद्योगिक वातावरण अच्छा नहीं रहेगा तो हम कभी प्रगति की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन की अवधि में अभी तक जो आपराधिक घटनाएं घटी हैं, उनकी संख्या 1295 है। मैं सारी घटनाओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मेरे पास सारे फिगर्स हैं कि वहां कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने अपहरण हुए हैं। मैं इसके बाद सिर्फ राजधानी की घटनाओं का जिक्र करूंगा।

इसके बाद मैं धनबाद जिले पर आता हूं। धनबाद जिला कोयलांचल इलाका है। उस क्षेत्र की विधि व्यवस्था का आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस जिले की वास्तविक स्थिति क्या है। अभी तक राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां जो घटनाएं घटी हैं, उनकी संख्या 1979 है। इसके अलावा जमशेदपुर जो औद्योगिक शहर है, जहां टाटा स्टील का सौ वर्ष का इतिहास है, उस शहर में किस तरह की आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, मैं उनकी चर्चा भी आपके सामने करना चाहता हूं। वर्ष 1907 में टाटा स्टील का निर्माण हुआ था और आज राष्ट्रपति शासन में वहां 1906 आपराधिक घटनाएं घटी हैं, 1906 मुकदमे वहां दर्ज हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में वहां आपराधिक घटनाएं घटी हैं। मैंने 24 जिलों में से अभी सिर्फ चार जिलों का जिक्र आपके सामने किया है, यदि आप अनुमति देंगे तो मैं 24 जिलों के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं और उन्हें सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदया, यदि आप वहां विधि व्यवस्था की हालत देखें तो उस राज्य की स्थिति को देखकर आप यह कह सकते हैं कि वह राज्य इस समय भगवान भरोसे चल रहा है, वह राष्ट्रपति शासन के भरोसे नहीं चल रहा है। अगर कोई विश्वास करता हो तो यह कहेगा कि भगवान वहीं पर है, इसलिए वह राज्य भगवान भरोसे चल रहा है। यह वास्तविकता है, वहां लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय औपचारिकता पूरी करते हैं, नाखुशी जाहिर करते हैं और कहते हैं कि ये सब घटनाएं यहां घट रही हैं। लेकिन यदि घटनाएं घट रही हैं तो उन्हें रोकने के उपाय क्या हैं, उन्हें रोकने के उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं, उन्हें कौन रोकेगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? राष्ट्रपति शासन में संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए जिम्मेदार कौन है? वह बयान देते हैं कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। मेरा कहना यह है कि ये घटनाएं वहां इसलिए घट रही हैं, क्योंकि वहां सारे पुलिस तंत्र को पोलिटिकलाइज कर दिया है। वहां राज भवन राजनीतिक केन्द्र, एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। जहां पर राजनीतिक फैसले के तौर से अप्रत्यक्ष शासन के रूप में गवर्नेन्स किया जा रहा है और शासन व्यवस्था की जा रही है और लगातार

बदस्तूर यह काम जारी है।

महोदया, इस तरीके से यदि हम राज्य के अंदर विभिन्न घटनाओं को देखें तो मैं नक्सलवाद की घटनाओं का जिक्र इस समय नहीं कर रहा हूं, चूंकि वे घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों और सुदूरवर्ती इलाकों की हैं। मैं सिर्फ शहरी क्षेत्रों का जिक्र कर रहा हूं और शहरी क्षेत्रों में यदि आम आदमी इस तरीके से असुरक्षित हो तो आप समझ सकते हैं कि राज्य की विधि व्यवस्था कैसे चल रही है। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि इसे आगे फिर से एक्सटैंड किया जाए। मैं आपको अभी रांची की घटनाएं बताना चाहता हूं कि जनवरी में नामकुम में लकड़ी व्यवसायी की हत्या हो गई। 16 जनवरी को फिर एक व्यवसायी की हत्या हो गई, रांची शहर के बीच में 19 जनवरी को एक कांट्रैक्टर के घर में अंधाधुंध फायरिंग हुई। 21 जनवरी को रांची शहर में एक पैट्रोल पम्प लूटा गया। 23 जनवरी को रांची शहर में फिर से एक व्यवसायी की हत्या हो गई। 24 जनवरी को फिर दो जगह गोलियां चलीं, अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस तरह से राज्य में व्यवसायी की हत्या के खिलाफ 16 जनवरी को व्यवसायियों का एक मौन जुलूस निकाला गया।

उसका प्रतिवाद किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फरवरी माह में न केवल आम जनता तक बल्कि उसके बाद 14 फरवरी को बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टाफ की हत्या कर दी गई, 7 मार्च को होटल मालिक की हत्या कर दी गई, 8 मार्च को एलजेपी के नेता की राजनैतिक हत्या कर दी गई, 4 मार्च को प्रापर्टी डीलर की हत्या कर दी गई, 3 मई को एक व्यवसायी की हत्या कर दी गई, 31 मई को एक शिक्षक की लाश बरामद होती है, 7 जून को एक संगीतकर गायक की हत्या कर दी जाती है, 9 जून को दिन-दहाड़े रातू, जो रांची राज भवन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 12 लाख रुपये की लूट हो जाती है, 9 जून को ही सुखदेव नगर में लूट होती है, 10 जून को फिर हत्या होती है, 12 जून को डोरांडो में, जो राजभवन से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है, हत्या होती है, 14 जून को अजीत यादव की हत्या होती है। इस तरीके से यदि आंकड़ों को लिया जाये तो हत्याओं का दौर जारी है और वह भी राजधानी के अंदर है। केन्द्र ने कौन सी संवैधानिक व्यवस्था का प्रहरी वहां भेजा है, किस तरह का संवैधानिक प्रहरी वहां काम कर रहा है? राज्य की जनता असुरक्षित है और सरकार आगामी 6 महीने के लिये राष्ट्रपति राज्य एक्सटैंड करना चाहती है। यदि कोई दूसरा विकल्प है तो वह यह है कि आज ही सदन के अंदर माननीय गृह मंत्री जी को यह घोषणा करनी चाहिये कि वहां विधान सभा निलम्बित न करके विधानसभा को भंग कर दिया जाये ताकि राज्य की जनता का नया जनादेश आये जिससे जनता की सरकार और जनता यह फैसला करे कि वहां का प्रशासन और वहां की विधि -व्यवस्था कैसी होनी चाहिये?

अध्यक्ष महोदया, राज्य के लिये सब से महत्वपूर्ण ईकाई और देश के लिये सब से महत्वपूर्ण व्यवस्था और उसकी प्रशासनिक दक्षता तभी मानी जायेगी जब राज्य की विधि व्यवस्था अच्छी होती है। जब राज्य में आम आदमी सुरक्षित महसूस करता है। असुरक्षा के माहौल में आप राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिये फिर से बढ़ाना चाहते हैं। वहां विधि-व्यवस्था का यह हाल है कि लगातार इसमें गिरावट आती जा रही है। सुदूर क्षेत्रों का तो कहना ही क्या? लगातार माइन्स ब्लॉस्ट हो रहे हैं। आपके पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं। पौलिटिकल ऐंगल से पद-स्थापना हो रही है। जो अच्छे पदाधिकारी हैं, उन्हें डम्प किया जा रहा है और भ्रष्ट पदाधिकारियों को वहां भेजा जा रहा है जहां जाकर वह लूट मचाये। उसे विधि-व्यवस्था से क्या लेना-देना? हवलदार लैवल तक हस्तक्षेप होता है कि कहां उनकी पद-स्थापना की जाये? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का यह हाल है कि कहां चुंगी पर सब-इंस्पैक्टर काम करेगा? राज्य के अंदर यह स्थिति बनी हुई है...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER : Please do'nt disturb.

श्री अर्जुन मुण्डा : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने आपके सामने वहां की विधि व्यवस्था का जिक्र किया है। और बहुत सी बातें हैं। मैं अब विकास के मुद्दे पर आता हूं। वित्त मंत्री जी ने नरेगा के लिये 39 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है। मुझे लगता है कि नरेगा के बारे में मुझे से ज्यादा श्री अजय माकन जानते हैं क्योंकि वह वहा आते जाते रहते हैं लेकिन वह कहेंगे नहीं। वह बात मैं कहने जा रहा हूं। आप वहां की नरेगा की स्थिति के बारे में पता करवा लें। भारत सरकार की पूरी टीम जिसमें कैबिनेट सैक्रेटरी और अन्य पदाधिकारी होते हैं, वहां जाते हैं और अपने कमैंट्स देते हैं। सरकार कहती है कि राज्य के मजदूरों को जॉब काड्र्स दिये गये हैं, वहां के कामगारों को 100 दिनों के लिये रोजगार मिले, यह एन्श्योर कर रहे हैं।

सारा मिट्टी का काम वहां जेसीबी मशीन करती है और पैसा लेबर के दाम से ड्रा होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि पटौंदा ब्लाक के भड़ान गांव में चले जाइए, पोटका ब्लाक में चले जाइए और वहां के गांव के लोगों से पूछिए कि यहां क्या हो रहा है? यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी टीम वहां गयी थी और उसने इस सारी वास्तविकता को देखा है। नरेगा के अंदर कैसे एक पदाधिकारी सैंकड़ों जगह पर अंगूठा लगाता है और कहता है कि लेबर का पैसा मैं ड्रा कर रहा हूं। यह वास्तविकता है और यह नरेगा के अंदर हो रहा है। वहां पर राष्ट्रीय खेल होने हैं और वहां 350 करोड़ रूपए की लागत से कार्य शुरू हुआ था। खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर कब समाप्त होगा, यह तिथि निर्धारित करने के बजाय उसे ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन कैसे दिया जाए, उसका एस्टीमेट कैसे अधिक से अधिक बढ़े इसके प्रति लोगों की रूचि ज्यादा बढ़ रही है। खेल कब होगा, इसकी किसी को चिंता नहीं है, लेकिन उसका री-एस्टीमेट कैसे हो, 350 करोड़ रूपए की योजना 1000 करोड़ रूपए पहुंच गयी है, लेकिन इफ्रास्ट्रक्चर का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। राष्ट्रपति शासन में वहां कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि यह कार्य कब पूरा होगा। उस कार्य के लिए धनराशि की लगातार वृद्धि की जा रही है और एक तरह से उस इफ्रास्ट्रक्चर के दाम से राशि की बंदरबाट हो रही है।

महोदया, मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में भी बताना चाहता हं। एक कांट्रेक्टर ने लिखित रूप में ऑन-डाक्यूमेंट दिया है कि उन्हें

टेंडर दिया गया और टेंडर में जितने का प्रोजेक्ट है उसका कुशन-मनी उससे 10 करोड़ रूपए अधिक है। कांट्रेक्टर ने कहा कि इतनी राशि की मुझे आवश्यकता नहीं है और यह स्कीम इतनी राशि की यह स्कीम नहीं है। उससे कहा जाता है कि आप इसे इतने की स्कीम बना दीजिए। कांट्रेक्टर यह लिखकर देता है कि यह इतनी राशि की स्कीम नहीं है और इसमें इतनी राशि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टेंडर हो रहा है। आखिर यह क्या बात है? विकास कार्यों की यह स्थिति है।

महोदया, मैं आपको वर्ष 2008-09 के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। वर्ष 2008-09 में आप राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों को देखिए।

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please let him speak. Please sit down. Please take your seat.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let him speak, please sit down.

...(*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): महोदया, ये बार-बार खड़े होते हैं और यह इनकी आदत है। जब इधर से कोई बोलता है तो इन्हें खड़ा किया जाता है। ये बार-बार खड़े होते हैं।...(व्यवधान) हमारी तरफ से कोई भी बोलता है तो ये खड़े हो जाते हैं। ...(व्यवधान) यह मेडन स्पीच है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिये। आप लोग बैठ जाइए।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): महोदया, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please sit down.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : ...(व्यवधान) ये वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये आपसे ज्यादा जानते हैं। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये और जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री अर्जुन मुण्डा : महोदया, अभी हम 20 परसेंट पर आये हैं और 80 परसेंट अभी बाकी है। मैं राष्ट्रपति शासन की पिछले छह महीने की अवधि के बारे में कहना चाहता हूं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बजट प्रावधान के आलोक में जो खर्चा हुआ था।

इसके बाद जनवरी-फरवरी में यह राशि 3889 करोड़ रुपये हुई। आपको आश्चर्य होगा कि 31 मार्च को यह राशि अचानक बढ़कर 5706 करोड़ रुपये हो जाती है। कैसे खर्चा होता है? 5706 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाती है और 85 परसेंट उपलब्धि दिखलाई जाती है। राष्ट्रपति शासन एक संवैधानिक व्यवस्था का शासन है और उस व्यवस्था के तहत आम आदमी को यह गारंटी दी जाती है कि संवैधानिक व्यवस्था और उसकी सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए, उसके भविष्य के लिए वह शासन उत्तरदायी है। यदि राष्ट्रपति शासन में ही ट्रैज़री का इस्तेमाल करके एक तरह से डाका डाला जाएगा, क्योंकि उस पैसे की निकासी करके पार्किंग करना प्रारंभ कर दिया, ट्रैज़री में विश्वास नहीं है, बैंक में राशि रखना शुरू कर दिया। निकासी करने का क्या मतलब था जब कार्य नहीं हुए? फर्जी आँकड़े प्रस्तुत करना कि इतनी राशि व्यय कर दी गई और वह राशि बैंकों में पड़ी हुई है। 31 मार्च के खर्च को मैं कहूँगा कि इस मामले में देखा जाए कि इसमें वित्तीय अनियमितता कितनी है। इसमें एफआरवीएम एक्ट का कितना उल्लंघन झारखंड प्रांत में इस समय हुआ है। झारखंड प्रांत में किस ढंग से राशि का विचलन हो रहा है, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि न केवल राष्ट्रपति शासन को अतिरिक्त समय देने की जो माँग है, उसको खारिज किया जाए बल्कि यह जो राशि है, इस राशि की भी जांच होनी चाहिए कि सरकार को अपनी ही व्यवस्था पर विश्वास नहीं है और राशि निकालकर कहीं और रखी जा रही है। ट्रैज़री को सीधे आरबीआई कंट्रोल करता है पर आरबीआई पर उन्हें कंट्रोल नहीं है। वह राशि निकालकर कहीं और रखता है। इस तरीके से झारखंड में विकास के मामले में हो, विधि व्यवस्था के मामले में हो, आम सुरक्षा के मामले में पूरे राज्य में स्थिति खराब है और महामहिम राज्यपाल महोदय अपने बयान में कहते हैं कि रांची पुलिस से जनता का विश्वास हिला। अब हिलाने डुलाने में क्या होगा? झारखंड प्रदेश की जनता को तो सुरक्षा चाहिए। बयान देते हैं कि विकास की योजनाओं की स्थिति असंतोषप्रद है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यदि असंतोषप्रद है तो आपने कितने पदाधिकारियों को इसके लिए दंडित किया, कितने पदाधिकारियों पर आपने कार्रवाई की कि असंतोषप्रद है, आप काम करने की स्थिति में नहीं हैं, आप काम नहीं कर सकते, आपमें इर्रैगुलैरिटी है, लेकिन कोई भी एक पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई, कोई पूछताछ किसी भी तरह की नहीं हुई।..(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let him complete. Please sit down.

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

श्री अर्जुन मुण्डा : अध्यक्ष महोदया, मैं अब मूल बातों पर आता हूँ। इसके बाद महामहिम स्टेटमैंट देते हैं कि चुनावों के पहले स्थिति सुधारें। यह चुनावों के पहले स्थिति सुधारने का क्या मतलब है? राज्य की स्थिति सुधरे यह बात तो ठीक है, पर चुनावों के पहले स्थिति सुधारें, इसका क्या मतलब है? उन्हें चुनाव लड़ने की भी वहाँ से इच्छा है। आखिर क्यों चाहते हैं कि चुनावों के पहले स्थिति सुधारें? चुनावों के पहले ही क्यों? व्यवस्था अच्छे ढंग से काम करे यह कहने के बजाय कहते हैं कि चुनावों के पहले स्थिति सुधारें! राज्य की जनता को प्रलोभन दिया जा रहा है!

इस संसद के माध्यम से हुआ है। महामहिम राज्यपाल ने इस संसद को जो बजट भेजा है, उसमें लोकलुभावन चीजों को, पोलीटिकली चीजों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जो कि पहले से ही जनता के सामने आ गया है कि लोक सभा में क्या भेजा जा रहा है, अखबारों में छप चुका है। वास्तविकता यह है कि वहां राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन में यदि इस तरह से व्यवस्था कार्य करेगी, इस तरह की इंटेनशन से काम होगा तो लोकतांत्रिक मर्यादाएं विध्वस्त हो जाएंगी और साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन पर लोगों का जो विश्वास है, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।

महोदया, आज राष्ट्रपति शासन के प्रति भी लोगों का विश्वास उठ रहा है। मैं एक पदाधिकारी के साथ गया था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि आप इंटैलिजेंस से रिपोर्ट ले लीजिए कि आपकी कोयला ढुलाई की क्या हालत है? मैं यदि कहूंगा तो आप कहेंगे कि सदन में ऐसी बातें कह रहे हैं। आप इंटैलिजेंस से पता कर लीजिए कि 6 महीने में कोयले की चोरी बढ़ी है या घटी है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। गोड्ढा में एमजीआर है और पूरी ढुलाई उसी के माध्यम से होनी चाहिए, उसी के माध्यम से होती रही है। लेकिन क्या आवश्यकता पड़ी कि वहां माल ढुलाई अब ट्रकों से होने लगी और ट्रक बाहर निकलने लगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह काफी देर से बोल रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदया, झारखण्ड के बजट पर बोलने के लिए हमने जो समय रखा है, उसमें हमारी ओर से केवल एक ही स्पीकर है। दूसरी बात, यह इनकी मैडन स्पीच है। इन दोनों को देखते हुए कृपया आप उन्हें बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : आपका बोलने के लिए समय 26 मिनट है और माननीय सदस्य 35 मिनट बोल चुके हैं। इसलिए मैंने कहा है कि आप कन्कलूड कीजिए। अब आप समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री अर्जुन मुण्डा : महोदया, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपकी भावना को समझता हूं।

महोदया, मैं आपके सामने एक मैप की चार कॉपी रखना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो रेड कोरिडोर अथवा दण्डकारणीय क्षेत्र की बात हो रही है। दण्डकारणीय क्षेत्र को आप मार्क कर दीजिए। मेरे पास फारेस्ट, मिनर्ल्स और यहां रहने वाले लोगों का मैप है। यदि इन मैप्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो यहां जल की कमी नहीं है, यहां जंगल की कमी नहीं है, यह फॉरेस्ट रिच एरिया है, यह मिनरल रिच एरिया है। फॉरेस्ट रिच, मिनरल रिच और पानी की उपलब्धता के बावजूद भी यहां रहने वाले लोग देश के सबसे गरीब लोग हैं, सबसे निरह लोग हैं, सबसे दबे हुए लोग हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री अर्जुन मुण्डा : आप लोगों को दर्द नहीं होना चाहिए, वास्तविकता सुनिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बढ़ाते जा रहे हैं, अब आप समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री अर्जुन मुण्डा : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां के बारे में गंभीरता से चिंता की जानी चाहिए।

मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगा। मैं अपना बाकी का भाषण टेबल पर रखना चाहता हूं और गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि विधान सभा को तरंत भंग किया जाए और राज्य में राष्ट्पति शासन इसलिए समाप्त किया जाए ताकि वहां अविलम्ब चनाव हो। वहां

जनता की सरकार बने।...(व्यवधान) आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: श्री जगदम्बिका पाल जी जो बोल रहे हैं, केवल वही रिकार्ड में जाएगा।

CUT MOTION

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे गृह मंत्री जी के द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। झारखंड की जो संवैधानिक स्थिति है, उस संवैधानिक संकट में राष्ट्रपति शासन को छः महीने के लिए बढ़ाना बाध्यता है, इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदया, अभी हमारे प्रतिपक्ष के साथी लॉ एंड आर्डर की चर्चा कर रहे थे। आज चर्चा इस बात की हो रही है कि वहां के बजट को पारित करना है, जो आज निश्चित तौर से प्लान, नॉन प्लान या कंटीजेंसी का पैसा, अगर हम इस बजट को न पारित करें तो निश्चित तौर से झारखंड राज्य के कर्मचारियों की या वहां के एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे भी रुक जाएंगे और वहां का विकास भी रुक जाएगा।

अध्यक्ष महोदया, आज चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि इस समय मानसून सत्र है, चुनाव 19 जुलाई तक नहीं हो सकते हैं, इसलिए निश्चित तौर से वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना, वहां के जनहित में और वहां विकास की दृष्टि से भी आवश्यक है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरह से चीजों को प्रस्तुत किया गया, झारखंड राज्य में कहा गया कि निर्दलीयों को, वहां के सदस्यों को डाकू की तरह से छूट दी गई और सन् 2005 के आम चुनाव का जिक्र किया गया। सन् 2005 के आम चुनाव के परिणाम को सारे देश ने देखा और वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई। हमारे प्रतिपक्ष के साथी बोल रहे थे, जब वहां के निर्दलीयों की खरीद-फरोख्त करके झारखंड से बाहर ले जाकर,...(व्यवधान) इनके सभी साथियों को कौन नहीं जानता, आप सुनने का साहस रखिए।

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप शांत रहिए।

श्री जगदम्बिका पाल : जब आपने बोला है तो सुनने का साहस भी रखिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

श्री जगदम्बिका पाल : इस बात का उल्लेख माननीय सदस्य, जो पूर्व मुख्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने किया है। उनके दल के सम्मानित नेता भी यहां बैठे हैं। मेरा यह कहना है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर कथनी आदर्श की बात की जाती है और करनी उसके विपरीत की जाए, उसके उदाहरण हैं, झारखंड में जिस तरह खरीद-फरोख्त करके उस समय भाजपा की सरकार बनी, वह सबसे भ्रष्टाचार की बात है।...(व्यवधान) उन निर्दलीयों को लेकर दो साल तक झारखंड को लूटने का काम हुआ है। इस बात को पूरा देश जानता है, जिसे ये डाकू कह रहे हैं, अगर वे डाकू बने हैं तो निर्दलीयों को भी डाकू बनाने का काम उसी सरकार ने किया, जिसके मुखिया हमारे माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष के थे। ...(व्यवधान) विकास की बात नहीं की। झारखंड इस देश का सबसे नवीन गणराज्य है। इसी सदन से झारखंड गणराज्य की स्थापना हुई। लोगों की अपेक्षाएं थीं, क्योंकि झारखंड में मैग्नीज, कोल, ऑयरन-ओर है, जो पूरे हिन्दुस्तान की गरीबी को दूर करने के लिए काफी है। जिस तरह वह सरप्लस स्टेट मिला था, अगर आज वह घाटे का स्टेट बना है तो उसकी भी देन इन्हीं की सरकार की है कि जो इन्होंने उस पूरे राज्य को लूटने का काम किया।

अध्यक्ष महोदया, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि विकास की दृष्टि से इन्होंने कौन सा काम किया? उस पूरे शासन काल में, वहां ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, उस सरकार में आज तक एक झारखंड टैक्नीकल युनिवर्सिटी की स्थापना ये नहीं कर पाए। आज भी झारखंड में एक टैक्नीकल युनिवर्सिटी नहीं है। इस कार्यकाल में आज वहां चार नए इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना हो रही है, विकास की दृष्टि से हम आगे जा रहे हैं। आज लॉ एंड आर्डर की बात की जा रही है, मैं समझता हूं कि जिस तरह झारखंड एक नया गणराज्य बना था, नए राज्य की स्थापना हुई थी, आप इससे सहमत होंगे।

अध्यक्ष महोदया, अगर झारखंड में, एम.सी.सी. या नक्सलवाद की समस्या से निपटने की इन लोगों में राजनैतिक इच्छा शक्ति

होती, तो वह समस्या अब तक समाप्त हो चुकी होती। जिस प्रकार से पंजाब में घटनाएं हुई थीं, उस समय की पंजाब राज्य की सरकार की राजनैतिक इच्छा शक्ति उससे लड़ने की थी, वह लड़ी, उससे जूझी और आतंकवाद को पंजाब से खत्म किया। उस समय की सरकार की राजनैतिक इच्छा शक्ति के कारण पंजाब राज्य देश की मुख्य धारा में आया। आज अगर झारखंड, देश की मुख्य धारा में नहीं है, तो इसलिए कि वहां के उन लोगों को संरक्षण देने का काम किया गया, तभी आज तक वह राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं आ सका है। वहां आज तक उस समस्या से दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति से नहीं निपटा गया। तभी उस समस्या का आज तक समाधान नहीं हो सका है।

महोदया, आज जिस तरीके से झारखंड में कानून-व्यवस्था की बात की जा रही है, झारखंड में माओवादियों की बात की जा रही है, उन घटनाओं में कितने पुलिस अधिकारियों ने अपनी शहादत दी। उन लोगों ने अपनी कितनी कुर्बानियां दीं, लेकिन उनकी शहादतों के लिए जिस प्रकार से उन्हें एवॉर्ड देना चाहिए या जिस तरह से उनका सम्मान किया जाना चाहिए, वह आज तक नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि राजनैतिक रूप से यह बात कहना चाहता हूं कि दो साल तक, जब तक वह सरकार चली, तब सबसे ज्यादा ...(व्यवधान) मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : आप कृपया सुन लीजिए। मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जदम्बिका पाल : यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा दामाद वहां एस.एस.पी. रहा। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: This will not go on record.

*(Interruptions) â€¦**

श्री जदम्बिका पाल : अब अगर इन्होंने ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मेरे दामाद का उल्लेख कर दिया। मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता था। अब आप कृपया बैठ जाइए। मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जदम्बिका पाल : महोदया, अगर इन्होंने उल्लेख कर दिया कि मेरा दामाद वहां एस.एस.पी. रहा, ...(व्यवधान) अब कृपया सुन लीजिए। ...(व्यवधान) अगर मेरा दामाद वहां एस.एस.पी. रहा, तो इन्हीं की सरकार में मेरे दामाद ने झारखंड के नक्सलाइटों से लड़ते हुए अपने सीने पर आठ गोलियां भी खाई थीं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। जब आप बोल रहे थे, तो इन्होंने आपको सुना। अब वे बोल रहे हैं, तो कृपया आप उन्हें सुनें।

â€¦(व्यवधान)

श्री जदम्बिका पाल : सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जब वे बोल रहे थे, तो इन्होंने सुना। अब आप इन्हें सुनिए।

â€¦(व्यवधान)

* Not recorded.

श्री जदम्बिका पाल : मुंडा जी, सच सुनने का साहस करिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जदम्बिका पाल : हम लोगों ने आपके बोलने के समय, कोई व्यवधान पैदा नहीं किया। ...(व्यवधान) आप सुनने का साहस पैदा कीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आपको इन्हें सुनना चाहिए। जब ये बोल रहे थे, तो इन्होंने सुना। अब जब वे बोल रहे हैं, तो आपको सुनना चाहिए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

â€¦(व्यवधान)

श्री जदम्बिका पाल : अध्यक्षा महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि मेरा दामाद एस.एस.पी. रांची है। यह मेरा सौभाग्य है कि वह आई.पी.एस. के कम्पटीशन में सिलैक्ट होकर आया है, आपके रहमो-करम पर नहीं आया है। उसने आई.पी.एस. कम्पटीशन दिया था और उस कम्पटीशन में सिलैक्ट होकर आया है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। Please listen to him. Sit down. आप कृपा कर के बैठ जाइए।

श्री जदम्बिका पाल : अध्यक्षा महोदय, माननीय अनन्त कुमार जी, उसके बारे में नहीं जानते होंगे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपा कर के बैठ जाइए। Nothing will go on record.

â€¦(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Madam, it is a very serious issue....(*Interruptions*) He has no right...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down and listen to him.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

---

* Not recorded.

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, he has taken my name....(*Interruptions*) He has referred to me. He should yield to me....(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let him speak.

...(*Interruptions*)

श्री जदम्बिका पाल : मुंडा जी जानते हैं कि जब वे मुख्य मंत्री थे, तो वह एस.पी. चाईबासा था और नक्सलाइटों से लड़ते हुए उसने अपने ऊपर आठ गोलियां खाई हैं। अर्जुन मुंडा जी, उसकी बहादुरी को भी जानते होंगे। वे क्या बात करेंगे। उसके जैसा ...(व्यवधान)

जब आप उल्लेख करेंगे, ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जब वे बोल रहे हैं, तो उन्हें बोलने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: A Member is speaking. You please let him speak.

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please let him speak. He is not yielding.

श्री जगदम्बिका पाल : मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदया, आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इन्होंने बात भ्रष्टाचार की की, 2005 के चुनाव के बाद...(व्यवधान) आप कृपया बैठ जाइये, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सुन लीजिए। आप बैठ जाइये, उनको बोल लेने दीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : यह कोई तरीका नहीं है। मैं बोल रहा हूं, अगर मैं नहीं बैठता हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। आपको धन्यवाद कि आप बैठ गये, क्योंकि मैं यील्ड नहीं कर रहा था।

मैं आपसे कह रहा था कि 2005 के आम चुनाव की बात जो की, उसी से हमारे मुंडा साहब ने अपने भाषण की शुरूआत की है। उन्हें चाहे इस बात की याद नहीं हो, लेकिन पूरा देश जानता है कि यदि शिबू सोरेन जी की सरकार को उस समय राज्यपाल जी ने बुलाया और जब इन लोगों ने खरीद-फरोख्त कर ली तो उन्होंने सदन में बहुमत पारित कराने के लिए कोई होर्स ट्रेडिंग नहीं की, बल्कि इस्तीफा देकर बहुमत से पहले चले गये। इससे बड़ा कोई नैतिकता और आदर्श नहीं हो सकता कि आज कोई होर्स ट्रेडिंग की बात इन्होंने नहीं की। ये बात करेंगे? सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद, ये बोलेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहे हैं, सरकार ही झारखंड में होर्स ट्रेडिंग से बनाई हो, खरीद-फरोख्त से बनाई हो, जहाज पर बैठाकर उनको दक्षिण भारत के राज्य में ले जाकर रखा हो और किस तरीके से...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

श्री जगदम्बिका पाल : दो वर्ष किस तरह से सरकार चली है, सारे देश ने देखा कि निर्दलीय किस तरह से सरकार की नीतियों में परिवर्तन कराते थे और जिस तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री को माननीय सदस्य हीड कराते थे, उनकी बातों को मानते थे, अगर आज झारखंड की जनता कोई कीमत चुका रही है तो आने वाला इतिहास इनको गुनहगार मानेगा, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वह जवाबदेह मानेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं बजट की बात कर रहा हूं, कम से कम इस बात के लिए तो इनको धन्यवाद देना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन भी कोई पोपुलर गवर्नमेंट नहीं है, उसे कोई इलैक्शन नहीं लड़ना है, इसके बावजूद कोई नया कर लेकर नहीं आ रहा है। यह निश्चित तौर पर झारखंड की जनता के लिए एक तोहफा है कि आज उनके ऊपर कोई नया कर राष्ट्रपति शासन में भी नहीं लग रहा है।

कृषि को किस जोन में रखा गया है, कम से कम आप यह तो बताते। झारखंड को कृषि के जोन सात में रखा गया है और उस कृषि जोन सात में आप कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, मतस्य के क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं, कम से कम कुछ विकास की बात तो करते। हर समय वही कानून व्यवस्था की बात, हर समय वही अपराध की बात, अरे, कम से कम जब काजल की कोठरी में हैं तो उस तरह की बात मत करिये। अब आप भारत की लोक सभा में हैं तो कम से कम भारत की लोक सभा के स्तर की बात करिये। मैं कम से कम आपसे यही अपेक्षा करूंगा। इसलिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कन्क्लूड करिये।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। प्लीज़, सुनने दीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : मैंने आदरणीय बहन जी को तो कुछ कहा नहीं, आप बैठ जाइये।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त करिये।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं बस एक-दो मिनट और बात करूंगा।

आज तो कम से कम झारखंड इस मामले में सौभाग्यशाली है कि जैसे दिल्ली में कॉमनवैल्थ गेम्स होने जा रहे हैं, ऐसे ही देश के जो राष्ट्रीय खेल होते हैं, 34वें राष्ट्रीय खेल अब झारखंड में होंगे। यह झारखंड के लिए एक सौभाग्य की बात है कि वहां नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं। मैगा स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बनने जा रहा है। आप उसकी चर्चा करते कि उसके लिए कुछ बजट बढ़ाया जाये। आप चर्चा करते कि जो 11 स्टेडियम बनने जा रहे हैं, उसके लिए कुछ ज्यादा पैसा दिया जाये। लेकिन आज आपने झारखंड के विकास के लिए एक भी चर्चा नहीं की। आज आपने इस अवसर पर केवल राजनैतिक रूप से इस बात को कहा है। निश्चित तौर से इस जनतंत्र में, इस प्रजातंत्र में जनता के प्रति भी जवाबदेही होती है। आज आप जो भी यहां बोल रहे हैं, इसका मूल्यांकन झारखंड में बैठी हुई जनता करेगी और जिस दिन भी झारखंड का चुनाव होगा, तो आप यह देख लीजिएगा कि जिस तरीके से केन्द्र में कांग्रेस-यू.पी.ए. की सरकार बनी है, ऐसे ही झारखंड में भी कांग्रेस-यू.पी.ए. की सरकार बनेगी और वहां विकास होगा।

मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, हमारी पार्टी राष्ट्रपति शासन का समर्थन नहीं करती है। हम संविधान की धारा 356 के विरोधी हैं। जब पहली बार इस सदन में झारखंड में राष्ट्रपति शासन कायम करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, तब उस संबंध में चर्चा नहीं हुयी थी। हम लोग चर्चा में भाग नहीं ले सके थे। जो प्रस्ताव बिना चर्चा के उस समय पारित हो गया था, उस समय भी हम विरोध करने वाले थे। इस बार फिर छः महीने के लिए राष्ट्रपति शासन का विस्तार करने का प्रस्ताव आज सदन में गृहमंत्री लेकर आए हैं।

महोदया, वर्ष 2005 में वहां विधान सभा के चुनाव हुए और चार साल में वहां चार सरकारें बनीं। एक नहीं चार सरकारें बनीं। वहां एक रिकार्ड भी हुआ कि निर्दलीय की सरकार भी बनी। देश में कहीं भी ऐसा नहीं है कि केवल निर्दलीय को लेकर वहां पर सरकार बनी हो। पिछली बार वहां जो मधु कोड़ा जी की सरकार थी, उनकी सरकार को हटाकर श्री शिबू सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस सदन में जो कान्फिडेंस वोट हुआ था, उसमें एक कंडीशन थी कि शिबू सोरेन जी और उनकी पार्टी के समर्थन के लिए यही शर्त थी कि यदि वे समर्थन देंगे, तो झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी को बनाया जाएगा, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया।

महोदया, वे उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। विधानसभा का चुनाव हुआ। पहली बार यह भी एक रिकार्ड है कि मुख्यमंत्री बनकर वे चुनाव में हार गए। चुनाव में हारने के पश्चात उनको पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इस सदन में यह प्रस्ताव आया। उसी समय यह उचित था, लेकिन पता नहीं क्यों विधान सभा को सस्पेंडेड एनिमेशन किया। सरकार को पता था कि सरकार बनाने या बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। 6 महीने का समय कम नहीं है। राज्यपाल महोदय द्वारा, 6 महीने में विधानसभा भंग करके लोकसभा के चुनाव के साथ, वहां विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं कराया गया? यह उस समय होना चाहिए था। अब फिर छः महीने के लिए राष्ट्रपति शासन के विस्तार का प्रस्ताव गृह मंत्री जी आज ला रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद है? यही मकसद है कि विधानसभा को भंग न करके, विधानसभा को जिंदा रख कर, किसी तरह फिर एक सरकार बनाने की कोशश रहेगी, खरीद-फरोख्त करके, जो पिछले दिनों हमने झारखंड में देखा है। ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Show me one example in the last six months where we indulged in horse trading. ...(*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : You tried. आपने कोशिश की, लेकिन उसे नहीं कर सके। ...(व्यवधान) विधानसभा को क्यों भंग नहीं किया? विधानसभा को क्यों सस्पेंडेड एनीमेशन में रखा है? किसलिए? इसके पीछे क्या मकसद है? हमें वहां एक लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। राष्ट्रपति शासन छः महीने के लिए काफी है। राष्ट्रपति शासन में काम करने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि वहां विधानसभा भंग करके, विधानसभा का चुनाव करा के एक लोकतांत्रिक सरकार गठित की जाए। यही उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन सरकार का यह मकसद नहीं है।

सरकार का मकसद छः महीने के अंदर कोशिश करके फिर से एक सरकार गठन करने का है। यह अनैतिक काम होगा। झारखंड विधान सभा के तमाम विरोधी दलों की मांग है कि विधान सभा भंग करके वहां तुरंत चुनाव करवाए जाएं। आज झारखंड में क्या परिस्थिति है? झारखंड बनने के बाद नौ साल हो गए लेकिन वहां पंचायत के चुनाव नहीं हुए। उससे पहले भी बिहार में जब लालू जी

मुख्य मंत्री थे, तब लालू जी ने बिहार के बंटवारे का विरोध किया था, मुलायम सिंह जी ने विरोध किया था और हमने भी विरोध किया था। उस समय हम तीनों ने विरोध किया था।...(व्यवधान) वहां अभी तक पंचायत के चुनाव नहीं हुए। पंचायत के चुनाव न होने के कारण वहां विकास नहीं हो पा रहा है। आज झारखंड में क्या नहीं है? हमारा जिला बगल में है और हम झारखंड में थे, बिहार में ही थे। सन् 1956 से पहले जब स्टेट रीआर्गनाइजेशन नहीं हुआ था, उस समय हमारा जिला बिहार में था, मानभूम जिला था। उसे दो हिस्सों में बांटकर - एक तरफ धनबाद हो गया और दूसरी तरफ पुरुलिया हो गया। हम पुरुलिया में आ गए, बंगाल में आ गए और धनबाद बिहार में चला गया। हम बिहार में ही थे, इसीलिए हमारी शिक्षा और सब कुछ बिहार, रांची, झारखंड और छपरा में हुई।...(व्यवधान) रांची दूसरे काम के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए गए थे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : तीन साल हो गए। हमने इस सदन में Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers Act जो पारित किया है, वह झारखंड में आज तक लागू नहीं हुआ। उसे कौन लागू करेगा? राज्यपाल महोदय बैठे हैं। वे क्या लागू करेंगे? वे चुनाव नहीं करवा रहे हैं। वहां कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। कैसे होगा? आज धनबाद, झरिया की परिस्थिति क्या है? वहां की पांच लाख की आबादी आज खतरे में है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। उसके बारे में जो बजट पेश किया गया है, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। आज माओवादियों की जो समस्या है, हमारे सीमांत इलाके - पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर और झारखंड में उनका मुकाबला करने के लिए क्या कार्यक्रम है। कैसे होगा? वहां एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं रहेगी, पॉपुलर गवर्नमैंट नहीं रहेगी और राष्ट्रपति शासन का विस्तार करने का प्रस्ताव यहां आएगा। ये जो करने जा रहे हैं, अगर हम अभी मांग करें कि विधान सभा को तुरंत भंग किया जाए, तो उसके लिए समय नहीं है। लेकिन इनडायरैक्टली बैक डोर से सरकार न बनाकर, विधान सभा को तुरंत भंग करके चुनाव होगा, सरकार यही वायदा यहां देगी।...(व्यवधान) यही एकमात्र उद्देश्य होगा, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार इस सदन में यही आश्वासन दे कि हम जो विस्तार कर रहे हैं, यह प्रस्ताव ला रहे हैं, इसका उद्देश्य एक ही है कि हम विधान सभा को सस्पैंडेड एनीमेशन में न रखकर, बैक डोर से सरकार न बनाकर, विधान सभा भंग करके चुनाव करवाकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करेंगे।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमें इस विषय पर इंटरविन करने का अवसर दिया। झारखंड के लोगों के लिए यह राज्य एक सपना था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपनी प्रतिभा के चलते कमेटी ऑन झारखंड मैटर बनाया था। पहली बार उन्होंने झारखंड राज्य की आकांक्षाओं को सम्मान दिया था। यह सौभाग्य था कि होम मिनिस्टर की हैसियत से मैंने यह रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी थी। हमारी यूपीए चेयरपर्सन, जो उस समय नेता विपक्ष थीं, उन्होंने अंगद की तरह पैर रखकर इस राज्य को बनाने के लिए एनडीए सरकार को समर्थन दिया था। यह एक कल्पना वहां के लोगों की थी कि झारखंड बनने के बाद लोग जो सैंस ऑफ पार्टीसिपेशन लैक कर रहे थे, उनको वह भागीदारी मिलेगी। झारखंड में पहली सरकार बनाने का सौभाग्य भाजपा को मिला था, जबकि हम सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। वर्ष 1977 में, जब मैं विधान सभा का सदस्य था, तब से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा था। लेकिन इन लोगों को सरकार बनाने का मौका मिला। अब इन्होंने क्या किया? यहां पर हमारे मित्र बैठे हैं। इनकी जो पहली सरकार बनाने का मौका मिला, उसमें तीन राज्य बने -- छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। आप उत्तराखंड को देख लीजिए कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने उस राज्य को कहां से कहां पहुंचा दिया? आदिवासी नेता श्री अजीत जोगी जी ने छत्तीसगढ़ का ऐसा रोड मैप बनाया, जिसके चलते आज उसका कुछ फल आपको खाने को मिल रहा हैं। छत्तीसगढ़ में विकास श्री अजीत जोगी की देन है। उस रोड मैप के चलते भाजपा के लोगों ने वहां अपनी सरकार बनायी । यहां इन्होंने आलमोस्ट साढ़े छः-सात साल राज किया। इन पर नए राज्य को गढ़ने की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया? झारखंड एक इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता था। जब वह बिहार राज्य में था तब वह इंडस्ट्रियल एरिया था। इन्होंने इन सात सालों में इंडस्ट्रियल पालिसी नहीं बनायी। देश का सबसे ज्यादा मिनरल वहां पाया जाता है, लेकिन इन्होंने मिनरल पालिसी नहीं बनायी। झारखंड शिक्षा के लिए माना जाता था। वहां सब लोग रांची, हजारीबाग और नेतरहाट के स्कूलों में पढ़ने जाते थे, लेकिन इन्होंने आज तक उसकी भी कोई पालिसी नहीं बनायी। जब भी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो उनके लिए रिहैबिलिटेशन पालिसी जरूरी है आज तक कोई भी रिहैबिलिटेशन पालिसी नहीं बनायी गयी। जब हम रांची जाते थे, तो अपने मित्र की फोटो हर बार देखते थे। उनके पोस्टर छपते थे कि आज इनके साथ एमओयू साइन हो रहे हैं, आज उनके साथ एमओयू साइन हो रहे हैं। भाजपा के रिजीम में दो या ढाई सौ एमओयू साइन हुए, जबकि वहां आज तक एक नये पैसे का निवेश नहीं हुआ। इस राज्य में लोग नौकरी के लालच में रहते हैं। हर आदमी सोचता था कि राज्य बनेगा, तो नौकरी मिलेगी।

अध्यक्ष महोदया, वहां कैसे इम्प्लायमैंट होगा, कैसे लोगों को नौकरी मिलेगी, उसकी नीति तक भी यह लोग नहीं गढ़ पाये। वहां बिना

नीति के ही लोगों की बहाली होती थी। जब वहां गवर्नर राज्य हुआ, तो पहली बार हर विभाग में नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। हम झारखंड राज्य को देखते हैं, तो जैसे मोर को अपने पैर देखकर कष्ट होता है, उसी तरह हमें भी उसे देखकर उतना ही कष्ट है। इस राज्य को बनाने के लिए हम लोगों ने भी अपना खून-पसीना बहाया है। इस राज्य को बनाने में कांग्रेस का जो योगदान है, उसे इतिहास भुला नहीं सकता। लेकिन जब राज्य बना, तो इनके हाथ में आया। हम रांची की बात करना चाहते हैं, जो झारखंड की राजधानी है। ये लोग एक जगह भी तय नहीं कर पाये कि कहां राजधानी बनेगी।

अध्यक्ष महोदया, जब राज्य का पहला बजट पेश हुआ था, झारखण्ड सरप्लस में था, लेकिन उसके बाद सब भोजन करते गए, खाते गए जिससे आज यह हालत है कि हम डेफिसिट बजट में रहते हैं। केन्द्र सरकार पैसा देती है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से मिलकर कहा, उन्होंने 15 सेक्रेटरीज के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी को वहां भेजा, पूरी सेन्ट्रल गवर्नमेंट वहां उठकर गयी। तीन हजार-चार हजार करोड़ रूपए का इनका बजट सरेन्डर हो जाता है, लैप्स हो जाता है और आप विकास की बात करते हैं। जब भाजपा ने वहां सत्ता संभाली, उग्रवाद केवल तीन जिलों में, पलामू जिले के अगल-बगल के तीन जिलों में था और सात साल में आपने उग्रवाद को 18 से 20 जिलों फैला दिया। यही आपका कंट्रीब्युशन है। आप देखिए, इतना अच्छा राज्य जो गोल्डन स्टेट बन सकता था, उसे आपने चौपट कर दिया, इसकी जिम्मेवारी किसी और की नही है। इसका कारण यह था कि आपकी कोई कार्यनीति नहीं बनी, काम करने का तरीका नहीं बना, कोई प्रायरिटी नहीं बनी। आज वहां एक उद्योग नहीं लग पा रहा है।

एक माननीय सदस्य, जो वहां के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ने कहा कि कोयले की चोरी बहुत बढ़ गयी है। आप बताते कि आपके समय में कितनी थी और अब कितनी बढ़ गयी है। इस पूरी परंपरा की शुरूआत आपने की है। झरिया के बारे में हमारे साथी ने कहा, यह आज से बहुत पहले से यह प्राथमिकता होनी चाहिए थी झरिया में जो कोयला जल रहा है, पूरे खदान में झरिया धंसने जा रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था हो? कैसे उस आग को बुझाया जा सकता है? मैं कोई टीका-टिप्पणी करने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता है।

वहां दो सरकारें बनीं, अर्जुन मुंडा जी को पता है कि हम लोग कभी सरकार बनाने के इच्छुक नहीं थे। हमारी नेता तो आज तक हम लोगों को इसके लिए डांटती है कि तुम लोगों ने क्यों सरकार बनाई, लेकिन आपके यहां से जो छः लोग भाग आए थे हमारे पास, उन्होंने आपकी सरकार गिराई थी। उस समय आप अपने मंत्री को रास्ते में पुलिस लगाकर पकड़वा रहे थे। आपको ये बातें याद होनी चाहिए। हम उनकी ट्रांजिट गवर्नमेंट मानकर चलते थे क्योंकि हम चाहते हैं कि साफ-सुथरी एक व्यवस्था हो, जनता ऐसे लोगों को चुने जो एक्का और छक्का नहीं हों जिससे फिर आपको मौका मिल जाए। हम चाहते हैं कि वहां साफ-सुथरी व्यवस्था हो और इसीलिए हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बहुत साफ कहा कि अगर कोई सरकार बनाने वाला नहीं होगा तो हम लोग असेंबली डिजॉल्व करके फिर जनता के पास आएंगे। इतनी साफ नीयत से हम काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो करनी रही है, हम उसे भुगत रहे हैं, झारखण्ड भुगत रहा है, वहां की जनता भुगत रही है। बांसुरी बजाकर घूमने वाले झारखण्डी लोगों ने आज अपने हाथ में हथियार उठा लिए हैं, आज हाथ में हथियार लेकर घूम रहे हैं।

हम उम्मीद करते हैं कि इससे निपटने के लिए राजनीति नहीं, लोगों के मन में विश्वास लाने की जरूरत है। प्रशासन पर से लोगों का विश्वास उठ गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन इसी प्रशासन ने, गवर्नर राज ने आज वहां पर एक्साइज रेवेन्यु बढाया है, ट्रांसपोर्ट के रेवेन्यु लाभ बढ़ाए हैं क्योंकि पहले वे सब बैंकरप्ट थे, लूट के अड्डे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज यह वक्त आ गया है कि झारखण्ड को बचाना चाहिए, झारखण्ड को बचाने के लिए आन्दोलन होना चाहिए। वहां के आदिवासी, गैर-आदिवासी, सभी लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, वहां कोई जमींदार नहीं है, कोई बड़ा खेतिहर नहीं है, सब स्माल-मार्जिनल फार्मर्स हैं और वे सभी लोग बेहाल हैं। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। आप बताइए कि आपने आज तक कितने पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है? एक का भी नाम बताइए। आपने ऐसा नहीं किया है। यह छः महीने का गवर्नर रूल कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा देंगे, आपने जो इनहेरेन्ट दिया है, उसी को हम लोग भोग रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह बजट और यह एक्सटेंशन एक साफ-सुथरी व्यवस्था के लिए किया जा रहा है, न कि किसी तिकड़म या जोड़-तोड़ के लिए।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I, on behalf of my party, stand here to express my opinion relating to the imposition of President's Rule in Jharkhand. As a Regional Party, we hold the view against imposition of Article 356. When it was deliberated upon in the context of Centre-State relations, at that time our party had very forthrightly expressed its opinion that Article 356 should be sparingly used. We were not in favour of totally removing this article from the Constitution. But at that time, an amendment subsequently came in the late 1990s stated that whenever Article 356 is to be imposed, it has to be ratified by the Parliament. So, in that respect, I still hold the view and our party's view is that article 356 should be sparingly used. But when Article 356 is imposed or President's Rule is extended for another six months, nobody can believe that this is being sparingly used. What was the reason for which the government could not hold the election within these six months?

17.22 hrs (Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

Sir, it is stated that a popular Government could not be formed within these six months because a conducive atmosphere was not prevalent in Jharkhand and so the Assembly was put under suspended animation. But how long can it continue like this? Orissa had witnessed President's Rule a number of times during the 1950s, 1960s and 1970s, but President's Rule is not the panacea where one can get relief. The fractured mandate as it happened in Jharkhand cannot bring about a solution. It has never happened in Uttar

Pradesh, it has not happened in two other States in this country and it will not happen in Jharkhand also. You are only prolonging the disease, the disease which has affected Jharkhand. By prolonging the disease, you are killing the popular impression that is prevalent there and this is leading to another aspect, the aspect of Maoist violence.

Sir, what has happened there during the last six months? We were told just now by a learned Minister that policy decisions are being taken now when there is no popular mandate. This is a temporary arrangement and in a temporary arrangement, when the State is under President's Rule, who are those people who are taking policy decisions? Policy decisions are supposed to be taken in the Legislative Assembly. Yet the Minister says in this House very confidently that policy decisions are now being taken. I am really surprised as to how policy decisions are being taken now when the State is under President's Rule.

Formation of smaller States has its merits and demerits and political instability is one of the demerits in smaller States. I do not say that in bigger States political instability does not occur, but corrective mechanism sooner falls in place, but in smaller States these things have to be rectified and I think this House needs to deliberate on this point.

But the point today is what should have been done? You could have held elections in Jharkhand for Assembly along with the Lok Sabha elections. Why do you want to keep Jharkhand Assembly in suspended animation and for how long?

We are told that the elections are due in two months' time in some States and that elections will be held in States like Maharashtra and some other States. Can the Government assure us...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): I said this. You were not there at that time.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): I was not there.

I am of the opinion that it is better to dissolve the Assembly and go for elections as soon as possible. What is being done in Jharkhand now should be termed as a temporary measure, should be termed as a temporary arrangement and people should elect their own Government. As soon as it is done, the sooner the better.

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति महोदय, हमारी स्थिति विचित्र है। धारा 356 के हम खिलाफ हैं और सरकार का हम समर्थन करेंगे, यह स्थिति हमारे सामने है। लेकिन यह मैं जरूर चाहता हूं कि धारा 356 अगर लगा ही दी गयी है तो सितम्बर में वहां चुनाव करा देने चाहिए, इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सितम्बर में चुनाव हो सकते हैं क्योंकि सितम्बर-अक्टूबर में चुनाव पहले भी हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग, धारा 356 के हमेशा खिलाफ रहे हैं और आज भी हम इसके विरोध में हैं। आपको चुनाव 6 महीने के अंदर कराना चाहिए था। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस लोकतंत्र के पीछे हमारा कुर्बानी का इतिहास है। गांधी जी के नेतृत्व में, दादा भाई नरौजी के नेतृत्व में जो कुर्बानियां दी गयीं, आप उस इतिहास को याद करो। उस इतिहास के चलते, बार-बार मैं नेता सदन की ओर इंगित करता हूं कि उस इतिहास की चर्चा मत होने दो।

सभापति महोदय, छह महीने का समय मिला था, धारा 356 लागू करना सही नहीं था, चुनाव हो सकते थे। आज आपको घोषणा करनी चाहिए कि सितम्बर में हम चुनाव करा देंगे। चुनाव कराने में आप जितनी देर करेंगे, उससे आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। हम विरोध करते हैं, वोट भी डालते, लेकिन मुश्किल है कि कम्युनल फोर्सेस से मुझे लड़ना पड़ गया। ये अपना धर्म छोड़ेंगे नहीं, अयोध्या छोड़ेंगे नही, ये अपनी नीतियों को बदलेंगे नहीं। अब समय आ गया है, आडवाणी साहब से मैं कहूंगा कि हमारा बहुत टकराव हो गया है। अब ऐसा समय आ गया है कि टकराव को टालिए और नीतियों को छोड़िए। अब लोगों को खुशहाली चाहिए। गांधीवादी नाम तो ले दिया, लेकिन ये लोहियावादी नहीं बन पाएंगे। बकायदा गांधी जी की विचारधार को लोहिया जी ने परिमार्जित किया है और कुछ जयप्रकाश जी ने भी परिमार्जित किया है। गांधी जी को मानते हुए, उनकी प्राथमिकता गांधी जी की है और गांधी जी का नाम आपने लिया और उसके बाद बदल गए। अपने कांग्रेसी मित्रों को मैंने इस इतिहास को याद दिलाया है। बहुत बड़ा इतिहास है, कुर्बानी का है, फांसी का है, सरदार भगत सिंह का है। इस लोकतंत्र से खिलवाड़ मत कीजिए और आप इन्हें मौका मत दीजिए। अगर इन्हें मौका देंगे, तो इन्हें लाभ होगा और आपको नुकसान होगा। यह ठीक है कि आपको बहुमत नहीं मिला, लेकिन बहुमत के करीब पहुंच रहे हैं। बीच में ऐसे काम मत कीजिए। जनता के बीच में सही संदेश नहीं जाएगा कि जन-विश्वास को ठुकराकर आप गवर्नर रूल बढ़ाते रहेंगे। मैं जानता हूं कि गवर्नर रूल कैसे होता है। हमारी सरकार रातों-रात बर्खास्त हो गई थी। रात में ही सरकार बर्खास्त हो गई। हमें सुबह पता चला कि सरकार बर्खास्त हो गई। हम उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर थे, लेकिन जब सुबह उठे, तब नहीं थे। आप ऐसा करना बंद कीजिए। अब हर व्यक्ति को चाहे वह गांवों का है या शहरों का, उसे सुविधा चाहिए। अगर एक का मकान अच्छा है, तो दूसरा सोचता है कि मेरा मकान अच्छा क्यों नहीं है, यह स्थिति आज की है। नक्सलाइट्स की बात रोज करते हैं। इस पर चर्चा हो चुकी है, अब मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। आडवाणी साहब, हमने आपको इसी सदन में कहा था कि आप छोटे-छोटे राज्य मत कीजिए। छोटे-छोटे राज्य करेंगे, तो रोज अल्पमत-बहुमत होता रहेगा। जितने छोटे राज्य करेंगे, उतनी नकस्लाइट की समस्या बढ़ेगी। जमशेदपुर हो या रांची हो या बोकारो हो, छोटे सूबों की लचीली शक्ति होती है और बड़े सूबों की शक्ति शक्तिशाली होती है। कांग्रेस और बीजेपी ने कमरे में जा कर मिल कर बंटवारा कर लिया. हम बैठे रह गए और विरोध करते रह गए। उत्तराखंड बन गया.

लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उसकी क्या हैसियत है? मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूं। छोटे सूबे कर दिए, मुख्यमंत्री की जिला परिषद के अध्यक्ष की हैसियत रह गई है, चाहे झारखंड हो या उत्तराखंड हो। कोई सम्मान नहीं रहा है। बड़े सूबे का ही परिणाम है, जिसके कारण नक्सलाइट उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ सका है। हमारे मित्र हैं, हमारी सरकार की नीतियों को इन्होंने पहचाना था, हमारे अधिकारियों से बात भी की थी, हमारा कार्यक्रम भी ले कर गए थे कि कन्या विद्या धन कैसे दे दिया, मुफ्त पढ़ाई कैसे कर दी, मुफ्त दवाई कैसे दे दी। ये रोजगार चाहते हैं, आप गरीबी-गरीबी की कब तक दुहाई दोगे। रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो गरीबी कैसे मिटेगी। जनता को रोजगार चाहिए। धारा 356 में जनता को मत उलझाओ। राजनीति को मत उलझाओ। हम धारा 356 का विरोध करते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमें आपके साथ वोट देना पड़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि सितम्बर में घोषणा कर दीजिए।

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति जी, मैं इस बारे में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं देखता हूं। नए सिरे से राष्ट्रपति शासन लगाने का आज का एजेंडा नहीं है, यह संवैधानिक रिक्वायरमेंट है। राष्ट्रपति जी का आदेश मानने की सरकार की बाध्यता है। मैजोरिटी को इग्नोर करके अगर कोई आदमी धारा 356 का इस्तेमाल करता है, तो वह अनुचित है। झारखंड की स्थिति विचित्र है। वहां किसी भी पोलिटिकल पार्टी ने सरकार बनाने का दावा भी नहीं किया है, सिवाए राष्ट्रपति शासन विस्तार करने के और रास्ता भी क्या है? आज अगर वहां बजट बनाना है, एस्टेब्लिशमेंट करना है, खर्चा करना है, तो वहां कोई भी पोलिटिकल पार्टी दावा करे चाहे कल करे, परसों करे, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, अगर उनके पास पर्याप्त संख्या में विधायक हैं, उस समय सरकार नहीं बनती है, तब माना जा सकता है कि जानबूझ कर ऐसा किया जा रहा है।

अब यह संवैधानिक बाध्यता है और ऑलरेडी वहां राष्ट्रपति शासन है, उसका पीरिएड जो एक्सपायर हो रहा है, तो हम इस विस्तार का समर्थन करते हैं। चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में ज्यादा दिन नहीं हैं। बिहार की असैम्बली से पहले झारखंड असैम्बली का चुनाव होगा। होम मिनिस्टर साहब जब जवाब देंगे तो चिदम्बरम जी को मालूम है कि वहां डेट कब ड्यू होती है। इसीलिए इसमें अगर बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग कल, परसों दावा करें तो एक्सटेंशन के बाद ही सरकार का गठन 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए हो सकता है, जो भी अवधि बची हुई है। वैसे झारखंड अपने हाथ से निकल चुका है, चाहे कोई सरकार हो। वहां तमाम एक्सट्रीमिस्ट्स भरे पड़े हैं। श्री सुनील मेहतो, जेएमएम से लोक सभा के सांसद जो हमारे साथी भी थे, उनकी हत्या कर दी गई। कोई भी पुलिस का अधिकारी, कर्मचारी जंगल-झाड़ के इलाके में नहीं जाना चाहता क्योंकि वह एम्बुश हो जाता है और वहां लोग मारे जाते हैं। यह समस्या एक सबसे बड़ी चुनौती है और उनसे डील करना राज्य सरकार और प्रेसीडेंट रूल के बूते की बात नहीं है। इसलिए कैसे होम डिपार्टमेंट डील करेगा, होम मंत्रालय को इसको देखना पड़ेगा। आध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और नेपाल तक पूरा कौरीडोर बन चुका है। ये सब इलाके बारूद के ढ़ेर पर हैं। इन सारे इलाकों में एक्सट्रीमिस्ट भरे पड़े हैं। इसमें बिहार का मेजोरिटी इलाका भी इसकी चपेट में आ चुका है। इसको देखना है तो कोई न कोई तो व्यवस्था रहनी चाहिए। इसलिए यह जो एक्सटेंशन हो रही है, संवैधानिक रिक्वॉयरमेंट है, यह करना है तो इसे हम सब लोगों को पास कर देना चाहिए, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। जो भी ड्यू डेट होगी, उस डेट को चुनाव होगा। हम तो चाहते हैं कि बिहार से पहले झारखंड का चुनाव हो ताकि वहां भी कमबैक कर लें और फिर बिहार में भी हम कमबैक कर लें।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN (SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA): Nothing will go on record except what Shri Lalu ji says.

*(Interruptions) â€¦**

श्री लालू प्रसाद (सारण): 6 महीने हैं, नजदीक हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर बीजेपी के लोग जिनके 41 एमएलएज हैं तो कल सड़क पर आइए और आप सरकार बनाने का दावा करिए।...(व्यवधान) नहीं चाहते हैं? चूंकि है ही नहीं आपके पास तो करना क्या चाहते हैं?...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): आज से नहीं कह रहे हैं, बहुत दिन से कह रहे हैं। लालू जी, उसके लिए राज भवन के सामने मैंने लाठी खाई है कि विधान सभा भंग करो।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : हां, हम लोगों को यह सुनकर तकलीफ हुई।...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : आप होते तो डरकर वहां से भाग जाते।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : हम भाग जाते? मुझे खुशी है कि यशवंत बाबू से हम लोग कमज़ोर हो चुके हैं। बाकी आगे नहीं बोलेंगे। इसलिए इसमें संवैधानिक बाध्यता है और इसके एक्सटेंशन पर मुहर लग जाए और कोई भी पोलिटिकल पार्टी लाइए, जोड़गांठ करके बात करते हैं। हर आदमी अपने अंदर नहीं देखता है और दूसरे पर ब्लेम कर देता है। सरकार बनानी होती है और कोएलिशन का एरा चल रहा है, मिलीजुली सरकार का एरा चल रहा है तो कहीं न कहीं तो लोगों को जोड़तोड़ करना पड़ता है। कोई दावा नहीं कर रहा है तो इसे विस्तार करके उस तारीख की संभावनाओं का पता करिए कि कब चुनाव वहां ठीक रहता है। लेकिन यह तो करना है।

अभी यहां आचार्य जी नहीं हैं। आचार्य जी बिहार में कहां-कहां रहे हैं, सदन को मालूम नहीं है। बसुदेव आचार्य जी के नाम के साथ जब हमने आचार्य टाइटल देखा तो पछा कि आचार्य क्यों जोडा तो पता चला कि वे चैन्नई के रहने वाले हैं, मद्रास के रहने वाले हैं।

लेकिन उन्होंने कोलकाता पर भी कब्जा कर लिया, छपरा पर भी कब्जा कर लिया, वे सब जगह कब्जा किए हुए हैं। हम तो अभी तक जानते थे कि वे बंगाल के निवासी हैं लेकिन वे चैन्नई के रहने वाले हैं। वे कांजीपुरम के रहने वाले हैं, उनके गांव के कमला आचार्य पटना में डॉक्टर हैं।...(व्यवधान) शंकराचार्य नहीं हैं।...(व्यवधान)

महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं। अब मौजूदा सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है और यह काम करना है। अगर यह गलत बात होती तो हम विरोध करते लेकिन इसमें विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इसे समय पर कराइए। हम सब लोगों को इस पर मिलकर मुहर लगा देनी चाहिए।

---

* Not recorded.

श्री बाबू लाल मरांडी (कोडरमा): माननीय सभापति महोदय, यहां बहुत चर्चा हो रही है कि राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता है। जब जनवरी, 2009 में राष्ट्रपति शासन लगा था तब पहली बार राज्य की जनता ने सुखद अनुभूति की थी। पिछले वर्षों में, 2003 से जो नए-नए प्रयोग हो रहे हैं उससे जनता एक प्रकार से अधीर हो चुकी थी और इस कारण से इसका लोगों ने स्वागत किया। उस समय बड़ा आश्चर्य होता था कि अगर कोई भी नेता अगर सड़क पर आकर राष्ट्रपति शासन का विरोध करता था तो पब्लिक उसे भगा देती थी, खदेड़ देती । वहां ऐसी हालत पैदा हो गई । वहां के लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब 2009 के लोकसभा चुनाव होंगे तो विधान सभा भंग होगी और साथ ही विधान सभा चुनाव भी होंगे। लेकिन जब चुनाव नहीं हुआ तो लोगों में निराशा हुई। अब लोग यह सोचते हैं कि पता नहीं क्यों राज्य की विधान सभा को भंग नहीं किया गया है? अब उस राज्य की जनता को यह भय सता रहा है कि राज्य की विधान सभा भंग नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस राज्य में नेताओं ने पिछले सात वर्षों से जो राजनीतिक प्रयोग किए हैं वे फिर दोहराए जाएंगे। आज वहां जनता सशंकित है , इसलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन का निश्चित रूप से विस्तार करें लेकिन सदन में झारखंड की जनता को आश्वस्त करें कि अब कोई सरकार नहीं बनाएंगे और समय सीमा के अंदर चुनाव होंगे। अगर हमने इस बारे में जनता को आश्वस्त नहीं किया तो शंका बनी रहेंगी और अगर इस प्रकार का प्रयोग हुआ तो देश और राज्य की जनता का भरोसा उठ जाएगा। हर किसी को लगेगा कि अब इस प्रदेश में, देश में जो बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, बड़े-बड़े नेता है, वे चाहे भाषण बड़े-बड़े देते हों, लेकिन उन्हें जनता की चिंता नहीं है, राज्य की चिंता नहीं है बल्कि खुद की चिंता है इसलिए इस प्रकार की सरकार बनाते हैं और इस प्रकार के राजनीतिक प्रयोग करते हैं। हम गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जब आप अपनी बात रखें तो राज्य की जनता को आश्वस्त करें कि अब कोई सरकार राज्य में नहीं बनेगी, चाहे अक्तूबर हो या नवंबर हो, आप निश्चित रूप से चुनाव कराएंगे। अगर आप इस आशा की घोषणा करते हैं तो मैं समझता हूं कि जनता इसका स्वागत करेगी, मैं भी इसका स्वागत करूंगा।

महोदय, जहां तक उस राज्य में करप्शन की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, इस बारे में काफी चर्चा हुई है। मैं उस राज्य को बहुत करीब से जानता हूं क्योंकि मुझे भी दो वर्ष सेवा करने का मौका मिला था। हमने इस राज्य में वर्ष 2003 से ही भ्रष्टाचार के साथ समझौता किया। यह समझौता लगातार चलता रहा और आज तक वह चल रहा है। आज तक लोगों के दिल और दिमाग से वे बातें नहीं निकली हैं।

इसलिए मैं यह कहूंगा कि अब फिर से समझौता नहीं होना चाहिए। उस समझौते के कारण ही आज वहां भ्रष्टाचार इतना ज्यादा पनपा है। यह बात सभी ने स्वीकार किया है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है, जहां कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां पर अगर आप थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे तो या तो राज्य छोड़ने का मन करता है या फिर राजनीति छोड़ने का मन करता है। वहां हम सब लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा की है। हमें लगता है कि इस पर सभी को चिंता करनी चाहिए, जो झारखंड में राजनीति करते हैं, उन सभी दल के नेताओं को चिंता करनी चाहिए।

महोदय, इसके साथ ही मैं विकास के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि झारखंड की बहुत उपेक्षा होती है। इसका मैं एक उदाहरण खास तौर पर रेलवे प्रोजैक्ट के बारे में जरूर दूंगा। वर्ष 2002 में झारखंड में रेलवे परियोजनाएं गई थीं और उस समय उनका बजट दो हजार करोड़ रुपये था। वहां साढ़े पांच सौ किलोमीटर रेलवे लाइन वर्ष 2005 में पूरी होनी थी । लेकिन हालत यह पैदा हो गई है कि वह वर्ष 2007 में भी पूरी नहीं हो सकी। आज उसका बजट बढ़कर 33 सौ करोड़ रुपये पहुंच गया है। अभी-अभी कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में वहां टीम गई थी तो राज्य सरकार के पदाधिकारी उनसे मिले और इस बारे में उनसे कहा। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम और पैसा नहीं दे सकते। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि यहां रेल मंत्री जी ने उस समय अपने बजट भाषण में कहा था कि सामाजिक वॉयबिलिटी को भी हम रेलवे प्रोजैक्ट्स में देखेंगे। लेकिन लगता है कि शायद झारखंड के संदर्भ में इन बातों का या कैबिनेट सचिव के साथ कहीं कोई तालमेल नहीं है। यहां वित्त मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे इन चीजों का भी ध्यान रखें, क्योंकि झारखंड में जितनी भी योजनाएं बनीं, चाहे रेल परियोजनाएं हों, हमने कोयला ढोने के

लिए जरूर बना दी हैं, हमने आयरन ओर ढोने के लिए बना दी हैं। लेकिन वहां की आम पब्लिक को इनकी सुविधा हो, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाये और आज भी उस दिशा में हम गम्भीर नहीं हैं।

महोदय, मैं यहीं कहूंगा कि आज राष्ट्रपति शासन का जो विस्तार है, निश्चित रूप से यह विस्तार होना चाहिए। लेकिन इस आश्वासन के साथ होना चाहिए कि हम समय सीमा के अंदर राज्य में विधान सभा का चुनाव करायेंगे।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Chairman, Sir, many of our hon. Members explained the circumstances for the President's Rule in the State of Jharkhand. It is unfortunate to have the President's Rule in the State of Jharkhand. Our Party, AIADMK is against the President's Rule in that State. If you have avoided the President's Rule, the Government could have conducted the Assembly elections along with the Parliament elections. In that circumstance, you could have avoided this kind of presentation of Jharkhand Budget. Therefore, I would request the Government to see that the election is held at an early date in the State of Jharkhand and see that the popular Government is established in that State. Under any circumstances, there must not be any extension of President's Rule in future. I hope that at an early date the election may take place in the State of Jharkhand.

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you that you have given me this chance to participate in the discussion on the extension of President's Rule for a further period of six months with effect from 9th July. My Party, All-India Forward Bloc is not in favour of issuing Article 356 in any State. But in this connection, my humble submission to the Minister, through you, is that six months have passed under the President's Rule. There was enough time to hold elections in Jharkhand and it was a suitable time for holding elections at the time of Fifteenth Lok Sabha general elections.

But, it was not scheduled. Today again, we are discussing on the continuation of the President's rule for another six months. My Parliamentary Constituency, Purulia in West Bengal, is in the border of the State of Jharkhand.

I hope that the President's Rule will not remain in force for the full term of the extension for six months which is going to be done now. The Jharkhand Assembly must be dissolved and the election must be held within a short time to elect a new Government for the development of the Jharkhand State. No Government can be formed by adding or subtracting anyone in the present Assembly.

With these words, I conclude my speech.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, the Resolution moved by the Hon'ble Home Minister stating the reasons for extension of the President's Rule in Jharkhand is understandable. It has become a *fait accompli.* There is no possibility of having a new Government within the stipulated time. So, the extension is a must.

Insofar as our Party's stand is concerned, we are very much opposed, not just today, but from the very beginning, to this sort of promulgation of President's Rule in a State under Article 356. Since 1957, when the President's Rule was imposed in Kerala and the Communist Government was toppled, we have been fighting against this practice.

My point is extension of the President's Rule is not the only panacea to solve the problem of Jharkhand. Jharkhand now has become the breeding ground for horse trade. The problem of Jharkhand has not cropped up today. We know what was happening during the period of Hon'ble P.V. Narasimha Rao's Government at the Centre. Time and again, such problems have been coming to the fore. Not only that, criminalization of politics, muscle power and money power, are also there. It is very regrettable and condemnable. Different political parties even at the Centre are utilizing them for taking political advantage. This should be stopped by whoever is at the Centre and in different States. At least they should not encourage this sort of horse

trading practice.

Hon'ble Minister in his intervention said that the Union Government did not take initiative for any horse trading. What is done overtly or covertly is not understood by everybody. My point is that some bold and principled stand must be taken from the Centre, whoever may be in power. At least, at the present juncture,

the suspended animation status should go and the Assembly should be dissolved and as soon as possible, within two or three months, elections should be held there. The Hon'ble Home Minister said earlier that he will try for that. At least the

suspended animation should be done away with and the Assembly should be dissolved.

With these words, I thank you, Sir.

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला): चेयरमैन सर, चूंकि सरकार के पास इस वक्त दूसरा रास्ता नहीं है, जैसे कि लालू जी ने भी कहा और दूसरे रहनुमाओं ने भी कहा कि इस वक्त सरकार के पास टाइम भी नहीं है और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए इस प्रस्ताव का समर्थन करना हमारे लिए भी जरूरी है, लेकिन उसूल की बात यह है कि जो कुर्बानियां हमारे असलाफ ने दी हैं, इस मुल्क की आजादी के लिए और इस मुल्क जम्हूरियत के लिए, वह कुर्बानियां गवर्नर राज्य के लिए नहीं दी है। वह कुर्बानियां सदर राज्य के लिए नहीं दी है, वह कुर्बानियां लोकतंत्र के लिए दी गयी हैं, आवामी-जम्हूरियत के लिए दी गयी हैं। इसलिए हम सब का, तमाम पार्टी का, इस सारे हाउस का असली गोल यह रहना चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा इसी चीज पर नजर रखे और कभी भी जो भी सत्ता में हो, जो भी कुर्सी पर हो, वह यह कोशिश न करे, फंक खेल-खेलकर अपने लोगों को सामने लाने की कोशिश न करे। वह हमारे मुल्क के लिए, जम्हूरियत की कद्रों के लिए इंतेहाई जहरीला होगा। चूंकि हम इस जहर से खुद जूझे हुए हैं। एक जमाना था, जब हमारी पार्टी की मेजोरिटी थी। अचानक यहां एक ऐसे होम मिनिस्टर थे, जिनको हम नहीं भाते थे।...* पाकिस्तान के प्रेसीडेंट, जिन्हें अभी जम्हूरियत की हवा भी नहीं लगी है, उसने भी मजबूर होकर कहा कि अगर घटिया किस्म की भी जम्हूरियत हो तो वह बढ़िया से बढ़िया वन मैन रूल से बेहतर होती है। लिहाजा जम्हूरियत की बुनियादी कद्रों को निगाह में रखते हुए हमें यह कोशिश करनी चाहिए और इस हाउस को इस बात पर दबाव बढ़ाना चाहिए कि जो भी सरकार हो उसे इस बात पर कम्पेयर करना चाहिए कि जम्हूरियत और आईन प्रिट के खिलाफ कोई बात न जाए। गवर्नर राज ओर प्रेसीडेंट रूल को आप चाहे कितना भी खूबसूरत बनाकर पेश करें, यह सही नहीं हो सकता है। किसी भाई ने कहा कि वहां पारसी मैटर्स हैं, गवर्नर और अन्य लोग पारसी मैटर्स लेने वाले कौन होते हैं? पारसी मैटर आप ले लेंगे, आपके लोग ले लेंगे, असेम्बली ले लेगी। लिहाजा हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि अगर हमें सही मायने में जम्हूरियत को पनपाना है, जम्हूरियत को बालिग करना है, जम्हूरियत की कद्रों को महफूज रखना है तो हमें लोकतंत्र और लोगों के जरिये यह कोशिश करनी चाहिए कि उनकी सरकार बने और उनके फायदे के लिए बने। इस वक्त हम अपनी सरकार से यह तवक्को रखेंगे कि जल्द से जल्द झारखंड में वहां के लोगों को चुनाव में ले जाकर उनकी सरकार बनाने का मौका देगी। उसी से हमारा नाम रोशन होगा जिस तरह आज दुनिया में जम्हूरियत के लिए हमारा नाम रोशन है।

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): महोदय, झारखंड के विषय में माननीय गृह मंत्री जी ने राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। मैं झारखंड का रहने वाला हूं, मैं एक निर्दलीय सांसद के रूप में जीतकर आया हूं इसलिए मैं एकदम निष्पक्ष भाव से सारी बातें रखूंगा। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुन रहा था। मैं माननीय गृह मंत्री जी को एक बहुत ही ईमानदार राय देना चाहता हूं।

अभी हमारे मित्र मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय जी बोल रहे थे और वे अपनी समझदारी से बहुत ही सही बातें बोल रहे थे, लेकिन वे जानते हैं कि वर्ष 2006 में जब श्री अर्जुन मुंडा जी की सरकार गयी और उसके बाद श्री मधु कौडा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके कारण चाहे जो रहे हों, लेकिन अजय माकन जी उस समय झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी थे। मेरी उनसे कभी रू-ब-रू बात नहीं हुई, लेकिन मैं उनके बयान अखबारों में पढ़ता था। मुझे लगता था कि एक सही विचार का आदमी कुछ करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। उनकी आवाज में तकलीफ थी, उनके दिल में दर्द था और वे कहते थे कि झारखंड लुट रहा है और मैं इस सरकार का समर्थन नहीं कर सकता हूं। सुबोध कांत सहाय जी भी कहते थे कि झारखंड में लूट के सिवाय और कुछ नहीं है।

18.00 hrs.

अगर कांग्रेस ने मधु कोडा को उस समय मुख्य मंत्री नहीं बनाया होता तो आपकी छः सीटों में से एक सीट नहीं होती। आज झारखंड से सुबोध कांत सहाय जी अकेले जीतकर आए हैं और अगर आप असैम्बली को डिसॉल्व नहीं करते हैं, अभी मुलायम सिंह जी ने ठीक कहा, दूसरे लोगों ने भी कहा कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप राष्ट्रपति शासन बढ़ाइए लेकिन ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please stop for a minute.

If the House agrees, I will extend the time of the House till the completion of the Business before the House.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सर, ज़ीरो आवर बड़ा इंपॉर्टेन्ट है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: After the reply of the Minister, 'Zero Hour' will be taken.

श्री इन्दर सिंह नामधारी : सभापति जी, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि राष्ट्रपति शासन का विस्तार किया जाए लेकिन गृह मंत्री जी को इसमें क्या हिचकिचाहट है कि आप हाउस को डिसाल्व करें? उसके बाद ये बातें भी कई साथियों ने कहीं कि लोक सभा के साथ झारखंड की विधान सभा के चुनाव हो सकते थे लेकिन किन परिस्थितियों में आपने नहीं कराए ये आप ही जानते हैं। अभी फिर आप इसको सस्पैन्डेड एनिमेशन में रखकर क्या पाना चाहते हैं, यह जवाब तो आपको सदन को देना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं यह खिचड़ी पकती रहती है कि फिर से कोई सरकार बनेगी। मैं आपके माध्यम से खासकर ट्रैज़री बैंचेज़ और कांग्रेस को कहना चाहता हूँ कि यदि आपने सरकार बनाने की फिर कोशिश की तो इसका सबसे ज्यादा खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और आप इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकेंगे। Mr. Chairman, Sir – I do not know whether you know or not – nine Cabinet Ministers of Jharkhand have been prosecuted by the Vigilance Department and two of them are absconding. नौ मंत्रियों पर एफआईआर हो गया। आप और दो-चार महीने सरकार बनाकर देख लीजिए, बाकी के लोग भी जेल में चले जाएँगे। मैं चिदम्बरम जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप कैटागरिकली बयान दीजिएगा कि अब कोई सरकार नहीं बनेगी। अगर आपने बनाई तो मैं सुबोध कांत सहाय जी से कहना चाहता हूँ कि इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा।

सभापति जी, झारखंड तो एक ऐसा राज्य था जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि इसकी कोख में अमीरी है लेकिन गोद में गरीबी है। इसकी तुलना राष्ट्रीय कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की इन पंक्तियों से की जानी चाहिए। वे कहते हैं - "अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में पानी।"

झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें कहा जाना चाहिए कि "मेरे महबूब में क्या नहीं क्या नहीं" - सोना और यूरेनियम से लेकर कोयला तक सब कुछ वहाँ पर है, लेकिन "अमृतधारा बह रही, पास न वाको जाए, गंगा तट पर खड़ा होय के प्यास प्यास चिल्लाए।" इस प्रकार के राज्य को आज बरबाद किया गया है। मैं तो झारखंड में पैदा नहीं हुआ लेकिन मैंने झारखंड को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया। मैं महसूस करता हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी झारखंड में यह दुर्व्यवस्था है, इसमें कहीं न कहीं गलती हुई है, इस गलती को सुधारने का समय आ गया है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप अपने जवाब में एक कैटागरिकल स्टेटमेंट दें। अभी भी अखबारों में छपता है कि सरकार फिर बनने वाली है, विधायक लोग यहाँ पर जमे हुए हैं लेकिन यह मान लीजिए कि जब इतने मंत्रियों पर केस हो चुके हैं तो कम से कम और दागदार मत बनिये। यह आपके लिए गलती होगी, आपके लिए बहुत ही गलत काम होगा। अजय माकन जी आपके पीछे बैठे हैं, हकीकत उनसे जान लीजिए, क्योंकि उनसे ज्यादा कोई हकीकत नहीं जानता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, I am grateful to the thirteen hon. Members who participated in this discussion.

Sir, President's Rule is not a panacea for the problems or ills of any State. Jharkhand was formed in the year 2000. These nine years have not been the best years. There have been four Governments. It so happens that all the four Chief Ministers are now Members of this House.

Sir, the only Party, which has not had a Minister in any of the four Governments or had a Chief Minister among these four, is the Congress Party. I am not making any judgement, and it is for the people of Jharkhand to make a judgement. If these Governments are tainted or were tainted, that taint does not apply to the Congress Party because no Congressman has been a Minister there and no Congressman has been a Chief Minister there. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb him.

...(*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM : The Jharkhand Assembly has a strength of 81 Members, and there are nine vacancies. Ten MLAs face disqualification proceedings before the Speaker. In my judgement, there is virtually no chance of any one forming a Government, and I have the authority of the Congress President to say that the Congress Party has no intention of taking any steps to form a Government there. But I have to go through the Constitutional process, and as Shri Lalu has correctly said that : "The Constitutional process is that we have to extend the President's Rule."

As I said in my opening statement it is my intention to request the Election Commission to hold election as early as possible. I believe that the monsoons will be over in Jharkhand by the end of September or early October. I sincerely hope that it will be possible for the Election Commission to hold election shortly after the monsoons are over.

Now, there is no reason for my good friend Shri Arjun Munda to inject a large degree of partisanship and accuse the President's Rule of this and that. These accusations can now be made mutually from all four sides of the House because I believe that the four former Chief Ministers represent four sides of the House. But I think that all that serves no purpose. The people of Jharkhand have suffered enough. Let us not add to their sufferings and humiliation by hurling charges against each other.

All that I can say is that in 2005-2006 the total revenues collected in Jharkhand was Rs. 4,184 crore -- Rs. 2,758 crore of tax revenues and Rs. 1,426 crore of non-tax revenues, that is, when Shri Munda was the Chief Minister. Today, in 2008-2009, partly under the President's Rule, tax revenues have reached Rs. 4,898 crore, non-tax revenues of Rs. 2,194 crore, and total revenues of Rs. 7,093 crore. In 2005-2006, the approved Plan size was Rs. 4,519 crore, and if you exclude the bond -- which really is not Plan expenditure -- then the Plan expenditure against Rs. 4,519 crore was only Rs. 2,562 crore, which is an achievement of 56.7 per cent.

In 2008-2009, the Plan size was Rs. 8,015 crore, and the Plan expenditure has been Rs. 6,682 crore. I am not saying that the President's Rule has solved all the problems. The President's Rule has its own problems because it is not a popular Government as it cannot give expression to the popular will. But the President's Rule has tried to do its best. I am sure there are failings, but I think that in some areas they have had some measure of success.

On the Policing side, 88 new Police Stations have been created in the last six months; we have constructed barracks; toilets; put in place communication facilities and procured vehicles for 97 Police Stations in naxal-affected areas; 1,750 new posts have been created in the Special Branch; and the Intelligence Wing has been strengthened. Fourteen additional Companies have been raised in the Jharkhand Armed Police. The Jharkhand Pol-Net now ensures 24 X 7 contact among all the Police Stations.

We have recruited 25,000 constables. The budget for the police force has been increased from Rs. 590 crore in 2004-05 to Rs. 1,100 crore. We have tried to do our best, but I am not saying that we have done our best.

Sir, the Vigilance Department has been active. Some cases have been referred to it. Vigilance inquiry has been ordered into payment against fake invoices of coal tar purchases in PWD roads during the period 2003-08. A vigilance inquiry has been ordered into irregular approval to building maps by Ranchi Regional Development Authority during the period 2006-08. A reference has been made to cases registered recently, even against former Ministers, two of whom are evading arrest.

The President's Rule, within limitations, has tried to do its best, but it is my desire that President's Rule comes to an end, elections take place, and a popular Government is installed as early as possible.

Sir, as I said in my opening statement, I wish to repeat the assurance especially to those who have asked for the assurance, and I hope Mr. Munda will be happy with this assurance. It is my intention, after the proclamation is approved by both Houses, to request the Election Commission to fix the date of elections as early as possible, soon after the monsoons are over. I am confident that elections can be held well before the expiry of six months.

With these words, I commend the Motion, request Mr. Munda to accept my assurance, request the Leader of the Opposition to prevail upon the hon. Member not to press the Motion, the House can unanimously pass the Motion, and we will hold the

elections soon after the monsoon.

श्री अर्जुन मुण्डा (जमशेदपुर): सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि वहां चुनाव लोक सभा के साथ भी हो सकते थे, जो नहीं कराए गए। मैंने जो प्रस्ताव मूव किया है, वह राज्य के हित में किया है। मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को सदन में मान लिया जाए।

CHAIRMAN : The question is:

> "That this House recommends to the President that the proclamation issued by her on the 19th January, 2009, under Article 356 of the Constitution in relation to the State of Jharkhand, be revoked."

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That this House approves the continuance in force of the Proclamation, dated the 19th January, 2009 in respect of the State of Jharkhand, issued under Article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 19th July, 2009." "

The motion was adopted.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir I have noted down the points made by the hon. Members. With your permission, I will seek leave of the House to introduce the Appropriation Bill.

MR. CHAIRMAN: Shri Inder Singh Namdhari, are you pressing your cut motion?

SHRI INDER SINGH NAMDHARI : Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the cut motion No. 3 moved by Shri Inder Singh Namdhari to the vote of the House.

The cut motion was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : I shall now put the Demands for Grants (Jharkhand) for 2009-2010 to the vote of the House.

The question is:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of the payment during the year ending on the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 4, 6 to 12, 15 to 27, 29 to 33, 35 to 44 and 46 to 52."

The motion was adopted.